

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य मिशन निदेशक(एसबीएम)/निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 25 मई, 2023

विषय:- स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0 के अन्तर्गत आईईसी एण्ड बी0सी0 मद में प्रथम किशत के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष समतुल्य राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-पी0एम0यू0/8097/498(2)/2022, दिनांक 13.04.2023 एवं अनु सचिव, आवासन एवं शहरीय विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या-1/15/2022-एस0बी0एम0-II (Computer No 9125289) दिनांक 30.03.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0 के अन्तर्गत आईईसी एण्ड बी0सी0 मद में प्रथम किशत के रूप में केन्द्रांश की धनराशि ₹0 13,87,70,000.00 (₹0 तेहर करोड़ सत्तासी लाख सत्तर हजार मात्र) (60 प्रतिशत) के सापेक्ष समतुल्य राज्यांश की धनराशि ₹0 9,25,13,333.00 (₹0 नौ करोड़ पच्चीस लाख तेरह हजार तीन सौ तैतिस मात्र) (40 प्रतिशत) अर्थात कुल धनराशि ₹0 23,12,83,333.00 (₹0 तेईस करोड़ बारह लाख तिरासी हजार तीन सौ तैतिस मात्र) को निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर स्टेट मिशन डायरेक्टर (एसबीएम)2.0 के पदनाम से खुले शेडयूल्ड कामर्शियल बैंक में स्टेट नोडल खाते में रखी जायेगी एवं उक्त स्टेट नोडल खाते से लिंक नगरीय निकायों के स्वच्छ भारत मिशन परियोजना के खोले गये खाते में अन्तरित की जायेगी।
- (2) स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत यथानिर्धारित शर्तों/प्रतिबन्ध के अधीन प्रश्रुगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।
- (3) अवमुक्त धनराशि का उपभोग भारत सरकार की गाइड-लाइन्स के अनुसार किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार/शासन/महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज को उपलब्ध कराया जाय।
- (4) धनराशि एकमुश्त अहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि का कोई अंश बैंक/पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाता में नहीं रखा जायेगा, इसका रख-रखाव भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।
- (6) इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
- (8) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

- (9) 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन है कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- (10) यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्रुगत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य अन्य किसी कार्य योजना से संबंधित है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 13,87,70,000 (रुपये तेरह करोड़ सतासी लाख सत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2215021070514 आई.ई.सी. एण्ड पी.ए. संबंधी कार्य (के.60/रा.40-के.) मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (2) रुपये 9,25,13,333 (रुपये नौ करोड़ पच्चीस लाख तेरह हजार तीन सौ तैंतीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2215021078914 आई.ई.सी. एण्ड पी.ए. संबंधी कार्य मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-9-11 -X-2023-24-दिनांक: 23-05-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय
25.05.2023
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-04/2023/2547(1)/001-Computer No 1420471 SBM, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 2-महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 3-संयुक्त सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 4-निदेशक (एसबीएम), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 5-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
- 7-निदेशक, सीएण्डडीएस, उ०प्र० जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
- 8-सहायक निदेशक (लेखा) नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 9- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 10-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 11-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 12-निजी सचिव, मा० मंत्री, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 13-गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
25.05.2023
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Concurrence Sanction Report

Amount In : (Amounts in Lakhs of rupees) ▾

नगर विकास

स्वीकृति आदेश संख्या: 001-Computer No 1420471 SBM

स्वीकृति तिथि: 22/05/2023

यू० ओ० संख्या: A009-20232024-001-Computer No 1420471 SBM

अनुदान संख्या: 37 - नगर विकास विभाग

लेखाशीर्षक: 2215021070514 - आई.ई.सी. एण्ड पी.ए. संबंधी कार्य (के.60/रा.40-के.)

आयोजनेत्तर-मतदेय
(धनराशि लाख रुपये में)

मानक मद	प्रावधान	पूर्व स्वीकृति	प्रेक्षित स्वीकृति	अनुमोदित स्वीकृति
35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	15,368.00	0.00	1,387.70	1,387.70
योग :	15,368.00	0.00	1,387.70	1,387.70

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव

स्वीकृति आदेश संख्या: 001-Computer No 1420471 SBM

स्वीकृति तिथि: 22/05/2023

यू० ओ० संख्या: A009-20232024-001-Computer No 1420471 SBM

अनुदान संख्या: 37 - नगर विकास विभाग

लेखाशीर्षक: 2215021078914 - आई.ई.सी. एण्ड पी.ए. संबंधी कार्य

आयोजनेत्तर-मतदेय
(धनराशि लाख रुपये में)

मानक मद	प्रावधान	पूर्व स्वीकृति	प्रेक्षित स्वीकृति	अनुमोदित स्वीकृति
35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	10,245.30	0.00	925.13	925.13
योग :	10,245.30	0.00	925.13	925.13

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव